तार–जल निगम
E-mail : mdupjn@yahoo.co.in
Fax : 0522-2622389

दूरभाष (प्र. नि.): 2626497
एक्स. 2620172, 2620272

उत्तर प्रदेश जल निगम

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांकः 1168 /प्र–1/2005–0211/16 दिनांकः 08 सितम्बर, 2016

–ःकार्यालय ज्ञापः–

राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन से सम्बन्धित वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1/2016/जी–1–119/दस–2016–226/2008, दिनाँक 12 अगस्त, 2016 की प्रति संलग्न करते हुए इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम की स्वीकृति से उक्त शासनादेश अंगीकृत करते हुए जल निगम कार्मिकों हेतु यथावत् प्रभावी किया जाता है।

संलग्नकः–यथोक्त।

08/09/16

(पी.के. आसूदानी)
प्रबन्ध निदेशक

पृ0सं0 एवं दिनॉक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि सचिव, नगर विकास अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(जी.एस. श्रीवास्तव)
सचिव (प्रशासन)

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
2– समस्त मुख्य अभियंता(स्तर–1/2), उ0प्र0 जल निगम।
3– निदेशक, सी. एण्ड डी. एस./मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4– विधि परामर्शदाता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5– समस्त अधीक्षण अभियंता/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/प्रबंधक, उ0प्र0 जल निगम।
6– मैनेजर, ईडीपी सेल, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7– समस्त अधिशासी अभियंता/परियोजना प्रबंधक/उप प्रबंधक, उ0प्र0 जल निगम।
8– समस्त मान्यता प्राप्त संगठन, उ0प्र0 जल निगम।
9– मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
10– गार्ड फाइल।

8/9/16

(आनन्द कुमार)
उप सचिव(प्रशासन)

संख्या- 1/2016/जी-1-119 /दस-2016-226/2008

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 12 अगस्त, 2016

विषयः **मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मिलने वाले मकान किराया भत्ता की दरो में संशोधन शासनादेश संख्या-जी-1-953/दस-2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा किया गया था।

2. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासकीय पत्र संख्या-41/2016/वे0आ0-2-813/दस-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0, दिनांक 12 अगस्त, 2016 द्वारा संसूचित निर्णय के अनुसार वर्तमान में अनुमन्य मकान किराया भत्ता की दरों में 20 प्रतिशत वृद्धि करते हुए (अगले दस रूपये में पूर्णांकित करते हुए) दिनांक 01 अगस्त 2016 से मकान किराया भत्ता की दरों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

क्र0 सं0	ग्रेड वेतन/ वेतनमान	श्रेणी-ए, बी-1 तथा बी-2 के नगरों में		श्रेणी-सी के नगरों में		अवर्गीकृत श्रेणी के क्षेत्र	
		वर्तमान दर	संशोधित दर	वर्तमान दर	संशोधित दर	वर्तमान दर	संशोधित दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1300	900	1080	450	540	300	360
2	1400	930	1120	465	560	310	380
3	1650	980	1180	490	590	325	390
4	1800	1100	1320	550	660	365	440
5	1900	1160	1400	580	700	385	470
6	2000	1200	1440	600	720	400	480
7	2400	1470	1770	735	890	490	590
8	2800	1670	2010	830	1000	555	670
9	4200	2020	2430	1010	1220	670	810
10	4600	2760	3320	1380	1660	920	1110

11	4800	2810	3380	1405	1690	935	1130
12	5400	3150	3780	1575	1890	1050	1260
13	6600	3780	4540	1890	2270	1260	1520
14	7600	4480	5380	2240	2690	1490	1790
15	8700	6910	8300	3455	4150	2300	2760
16	8900	7280	8740	3640	4370	2430	2920
17	10000	8200	9840	4100	4920	2730	3280
18	**वेतनमान** 67000-79000	9200	11040	4600	5520	3000	3600
19	**वेतनमान** 80000 **नियत**	10500	12600	5250	6300	3500	4200

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य में गठित वेतन समिति द्वारा मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु संस्तुतियॉ प्रदान करते समय इस वृद्धि को संज्ञान में लिया जायेगा।

4. मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2016 /जी-1- 119(1)/ दस-2016-226/2008, तद्दिनांक

प्रतिपिलि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1, 2 एवं 3, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
(4) प्रमुख सचिव, विधानसभा/विधान परिषद् सचिवालय।
(5) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(7) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
(8) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।